न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 2672 /विधि सहरसा, दिनांक 13-9-2023

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0–84/2023 में दिनांक–11.09.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :– बीबी रकीना पति–इम्तियाज / लाडली प्रवीण, पति–मो0 मुस्ताक, दोनों सा0–मौलापुर, ग्राम पंचायत–सोनपुरा, थाना+अंचल+परियोजना– सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 ~~मैनेजर, समाहरणालय,~~ सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0...से...

जिला.., सं0..., सन् १९...............................तक

केस का प्रकार...

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
11/09/2023		

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्याः-84/2023

बीबी रकीना..............................पुनरीक्षणकर्त्ता

-बनाम-

राज्य एवं अन्य...........................रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षणवाद बीबी रकीना, पति-इम्तियाज, सा0-मौलापुर, ग्राम पंचायत-सोनपुरा, थाना+अंचल+परियोजना-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा के द्वारा न्यायालय समाहर्त्ता/जिला पदाधिकारी, सहरसा के आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-09/2021 में दिनांक-21.02.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है।

दिनांक 05.09.2023 को नामांकन के बिन्दु पर सुनवाई के क्रम में निम्न न्यायालय आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद विभागीय मार्गदर्शिका पत्रांक 990 दिनांक 05.04.2016 यथा संशोधित मार्गदर्शिका, 2222 दिनांक 25.05.2018 के आलोक में सेविका चयन से संबंधित है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 की कंडिका-13 में स्पष्ट वर्णित है कि "जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।" बाल विकास सेवाएँ (ICDS), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) के पत्रांक-1780 दिनांक 05.03.2020 से सेविका/सहायिका चयन से संबंधित परिवादों के त्वरित निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए

के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।" उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय के स्तर पर पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

11/9

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

11/9

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।